कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या–9 / उपा०कीट०अनु0–24 / 2012 / कृ0, पटना, दिनांक 2018

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मेसर्स ठाकर केमिकल्स लि0,
द्वारा–किसान घर, प्रो0–किरण सिन्हा,
अगमकुआँ, छोटी पहाड़ी रोड, पटना–800007

विषय :– **कीटनाशी बिक्री / भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या–07 दिनांक 29.07.2009 एवं 123 दिनांक 13.01.2015 का नवीकरण एवं इन्डोर्समेन्ट के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपसे विहित प्रपत्र–VII, में प्राप्त आवेदन कोषागार चालान एवं अन्य मान्य कागजातों तथा सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, पटना से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 में निहित प्रावधानों एवं कीटनाशी (संशोधन) नियम 2015 के आलोक में प्रपत्र– VIII, में अंकित शर्तों के अधीन विषयांतर्गत अनुज्ञप्ति दिनांक 31.12.2018 तक की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक / संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजा जाय।

अनुलग्नक :–मूल अनुज्ञप्ति।

विश्वासभाजन,
ह0 / –
(हिमांशु कुमार राय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1211 / कृ0, पटना, दिनांक 23-2- 2018

प्रतिलिपि– (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना / संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान, बिहार, पटना / जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

22-2-18
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।